भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1776

जिसका उत्तर मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के आयात पर निर्भरता को कम करना

1776. श्री मनन कुमार मिश्र:
श्रीमती माया नारोलिया:
श्री मयंककुमार नायक:
श्री सुभाष बराला:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से अब तक उर्वरकों एवं उर्वरकों के कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने उर्वरकों तथा उनके कच्चे माल की आपूर्ति के लिए संसाधनों से समृद्ध देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) उर्वरकों की आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके आयात के स्रोतों में विविधता लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और
(ड.) इन पहलों का विगत पांच वर्षों के दौरान देश की उर्वरक आयात पर निर्भरता, पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क से ड.): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड

और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर के भीतर नामित पीएसयू के जेवीसी के माध्यम से 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। ये दोनो परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटी बढ़ा है।

उपर्युक्त सभी उपायों से रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी हो गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

इसके अलावा, सीसीईए ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को 15.07.2026 को मंजूरी दी।

आयातित अमोनिया पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन अमोनिया के घरेलू उत्पादन और खरीद को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट) योजना उर्वरक क्षेत्र के लिए ग्रीन अमोनिया की मांग एकत्रीकरण और खरीद पर केंद्रित है, जिसके तहत डीएपी/एनपीके उर्वरकों के उत्पादन के लिए उर्वरक कंपनियों द्वारा प्रति वर्ष लगभग 7 एलएमटी ग्रीन अमोनिया की खरीद का प्रावधान किया गया है। उर्वरक कंपनियों और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) के बीच 10 वर्षों के लिए 30 मार्च 2026 को ग्रीन अमोनिया आपूर्ति समझौते (जीएएसए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उर्वरक कंपनियों को ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति जीएएसए पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 साल बाद शुरू होगी। हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार ग्रीन अमोनिया और ग्रे अमोनिया की लागत के बीच विभेदक राशि उर्वरक विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

भारत सरकार भारतीय उर्वरक कंपनियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौता करने हेतु सुविधा प्रदान करती है। इसके अनुरूप, भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष में भारत को क्रमशः लगभग 31 एलएमटी और 26.50 एलएमटी डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की वार्षिक आपूर्ति के लिए सऊदी अरब और रूसी कंपनियों के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया है। म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) के लिए, भारतीय कंपनियों ने रूस (1.0 एलएमटी), जर्मनी (1.05 एलएमटी) और तुर्कमेनिस्तान (2.75 एलएमटी) के आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया है।

इस वर्ष रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए जॉर्डन (5.0 एलएमटी), मोरक्को (18.0 एलएमटी) और टोगो (8.40 एलएमटी) की कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं। फॉस्फोरिक एसिड के लिए इस वर्ष के दौरान ट्यूनीशिया (3.60 एलएमटी) और सेनेगल (5.0 एलएमटी) से आपूर्ति के लिए समझौते किए गए हैं। अमोनिया के लिए, एक अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए, भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष आपूर्ति के लिए सऊदी अरब (5.0 एलएमटी) और ओमानी (3.50 एलएमटी) कंपनियों के साथ समझौते किए हैं।

हाल के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को देखते हुए, विभाग ने विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न देशों से खरीद के अवसरों की तलाश करके आयात स्रोतों में विविधता लाने के उपाय किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, वैश्विक बाजार व्यवधानों से उत्पन्न अनियमितताओं को कम करना और देश में उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमआरपी की तर्कसंगतता पर दिनांक 18.01.2024 को जारी दिशानिर्देश के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%/10% और 12% का उचित लाभ दिया जाता है। अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है; एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर 28 ग्रेड कर दी गई है। मृदा में फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू की गई है। इसके अलावा स्कीम के तहत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस स्कीम के तहत पोषक तत्वों की दरें द्विवार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।
